समाहरणालय, सिवान

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

ज्ञापांक /पं0 दिनांक

सेवा में

1. अनुप कुमार सोनी (मेधा क्रमांक–03)
2. ~~मोहम्मद गौहर (मेधा क्रमांक–21)~~
3. अंगद कुमार सिंह (मेधा क्रमांक–23)
4. रणजीत कुमार प्रसाद (मेधा क्रमांक–36)
5. पुजा कुमारी (मेधा क्रमांक–26)
6. शुभम श्री (मेधा क्रमांक–29)
7. पुर्णिमा बर्नवाल (मेधा क्रमांक–48)
8. अमरनाथ कुमार (मेधा क्रमांक–298)
9. अनोज कुमार (मेधा क्रमांक–336)
10. प्रियंका गुप्ता (मेधा क्रमांक–140)
11. अरविन्द कुमार (मेधा क्रमांक–54)
12. सरोज कुमारी प्रभाकर (मेधा क्रमांक–99)
13. राहुल कमार मिश्रा (मेधा क्रमांक–45)
14. नावेद अली (मेधा क्रमांक–53)
15. आकृति (मेधा क्रमांक–64)
16. संदीप कुमार (मेधा क्रमांक–371)
17. पीर मोहम्मद अंसारी (मेधा क्रमांक–123)
18. राजीव कुमार (मेधा क्रमांक–77)

विषयः– नियुक्ति पत्र के आधार पर योगदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सिवान जिला में निर्धारित तिथि को सम्पन्न काउन्सिलिंग तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद पर संविदा के आधार पर आपका नियोजन निम्नांकित शर्तों के अधीन कर लिया गया हैः–

1. संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जाएगा।
2. चयनित कर्मी को नियमानुसार हटाने का अधिकार ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा।
3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
4. इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगी।
5. इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक को 20,000/– रूपया प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय–समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी। मानदेय का भुगतान सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के आलोक में उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

6. मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के अधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

8. लेखापाला–सह–आई0टी0 सहायक के निम्नवत् दायित्व होंगे–:

(i) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अर्न्तगत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(ii) अभिलेखों का विधिसम्मत् संधारण सुनिश्चित कराना।

(iii) ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण करानां

(iv) ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।

(v) अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

(vi) सभी पंचाय़तों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

(vii) e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(viii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले अन्य आवंटित कार्यों को सम्पन्न कराना।

9. अगर आप उपरोक्त शर्तों से सहमत हों तो दिनांक 06.01.2020 को अपराहन् 5.00 बजे तक जिला पंचायत राज कार्यालय सिवान में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। योगदान के समय चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा पहचान हेतु वोटर आई0 डी0 या आधार कार्ड (छाया प्रति सहित) साथ लायें।

ह0

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक 04-II/पंचायत, दिनांक 03/01/20

प्रतिलिपिः– 1.सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2.जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC) सिवान को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश को जिला के Website पर Upload कर दिया जाय।

03.1.20

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सिवान।